

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला रीकर

क्रमांक / राजस्व / 2023 / 122

दिनांक 4/5/2023

:- रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज-6/2003 / पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एव 86 के अन्तर्गत ग्राम—डेवावाली— पटवार मण्डल—मऊ— भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त—मऊ— तहसील श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 48 में स्थित रास्ते का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा सलग्न निर्णयानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शिविर प्रतारी अधिकारी
प्रशासन विभाग के तहत नियम-2023
उपखण्ड अधिकारी— श्रीमाधोपुर
उपखण्ड अधिकारी— श्रीमाधोपुर
पंचायत श्रीमाधोपुर

क्रमांक / सम /

दिनांक: 4/5/2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त मऊ।
3. पटवारी हल्का मऊ।

शिविर प्रतारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
प्रशासन विभाग के तहत नियम-2023
उपखण्ड अधिकारी— श्रीमाधोपुर
पंचायत श्रीमाधोपुर

